बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सां०नि०/स्था०17–17/2022 - 144 /पटना, दिनांकः–10/06/24

कार्यालय आदेश

श्री शंभु राय, तत्कालीन सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी–सह–प्रभारी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–516/सां० दिनांक–26.07.2022 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर गठित आरोप पत्र पर निदेशालय के का०आ०सं०–357 सहपठित ज्ञापांक–1966 दिनांक–14.11.2022 द्वारा श्री शंभु राय पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(ख) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), भागलपुर को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. श्री शंभु राय के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अपने 11.12.2017 से 28.02.2022 की अवधि में बिना किसी सहमति के राजीव आवास योजना के तहत अनाधिकृत रूप से मेसर्स ब्राईट से श्री राहुल मंडल को कार्य पर रखने, श्री राय द्वारा प्रति माह संबंधित कर्मी की अनुपस्थिति विवरणी मेसर्स ब्राईट को नहीं भेजने, साथ ही श्री राहुल मंडल, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के खाते में बिना ई०एस०आई०/ई०पी०एफ०/सर्विस टैक्स एवं अन्य कटौती के सीधे मानदेय का भुगतान किये जाने जो विभागीय दिशा निदेर्शो एवं नियमों का घोर उल्लंघन है, संबंधी आरोप गठित किये गये हैं।

3. संचालन पदाधिकारी–सह–प्रभारी पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), भागलपुर के पत्रांक–228/वि०जाँ० दिनांक–17.10.2023 द्वारा श्री शंभु राय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी ने समर्पित अपने संचालन प्रतिवेदन में निम्न मंतव्य दिया है :–

"(i) आरोपित सेवानिवृत सरकारी सेवक पर प्रथम आरोप राजीव आवास योजना के अन्तर्गत स्थानीय व्यवस्था के तहत अनाधिकृत रूप से मेसर्स ब्राइट से श्री राहुल कुमार को कार्य पर रखने का आरोप लगाया गया है, यह बात सत्य है कि जिला स्तर पर कार्यपालक सहायक का पैनल अस्तित्व में नहीं था।

आरोपी सरकारी सेवक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह भी उल्लेख किया गया है कि विभाग के स्तर से बैठक में उन्हें स्थानीय स्तर पर डाटा इंट्री ऑपरेटर रखने का निदेश दिया गया था जिसके अनुपालन में उनके द्वारा मेसर्स ब्राइट से श्री राहुल कुमार की सेवा ली गई। विदित हो कि मेसर्स ब्राइट डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवा प्रदान करने हेतु सक्षम एजेंसी नहीं थी। श्री राय द्वारा जिला पैनल के भंग होने एवं कार्य निष्पादन हेतु समय–समय पर विभाग को परिस्थिति से अवगत कराया गया है। उनके द्वारा विभाग को समर्पित स्पष्टीकरण में भी इस तथ्य का उजागर किया गया है। ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा मेसर्स ब्राइट से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को ली गई सेवा को सही नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में संबंधित आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में बैठक के दौरान विभागीय निदेश प्राप्त कर ही श्री राहुल मंडल की सेवा मेसर्स ब्राइट से प्राप्त कर कार्य को निष्पादित करने का उल्लेख किया गया है। फलतः लगाया गया आरोप अंशतः प्रमाणित होता है।

(ii) आरोपी सरकारी सेवक पर दूसरा आरोप मेसर्स ब्राइट से सेवा प्राप्त श्री राहुल के खाते में सीधे मानदेय की राशि के भुगतान से संबंधित है। इस संबंध में आरोपित सरकारी सेवक का कथन है कि उन्हें वित्तीय नियमों की सम्पूर्ण जानकारी नहीं थी एवं श्री राहुल कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की माँ बीमार

रहने के कारण उनके द्वारा मानवीय संवेदनाओं के तहत भी श्री राहुल कुमार को मानदेय की राशि सीधे उनके खाते में करना वित्तीय प्रावधानों के प्रतिकूल था। फलतः लगाया गया आरोप प्रमाणित होता है।"

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप सं०–1 को अंशतः प्रमाणित एव आरोप सं०–2 को प्रमाणित पाये जाने के समर्पित प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) में किये गये प्रावधान के तहत निदेशालय के पत्रांक–1950 दिनांक–21.11.2023 द्वारा श्री शंभु राय से लिखित अभ्यावेदन/निवेदन पत्र की मांग किया गया। श्री राय से अभ्यावेदन अप्राप्त रहने पर निदेशालय का पत्रांक–158 दिनांक–23.01.2024 द्वारा उन्हें स्मारित भी किया गया। स्मारित किये जाने के बावजूद श्री शंभु राय से अभ्यावेदन अप्राप्त रहने पर उनसे अभ्यावेदन की मांग करने हेतु दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक–13.03.2024 को प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया। उक्त पर श्री शंभु राय द्वारा ई–मेल से निदेशालय को संचालन प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन समर्पित किया गया। अपने अभ्यावेदन में श्री शंभु राय ने निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :–

"(i) प्रथम आरोप पर अपने मंतव्य में संचालन पदाधिकारी की स्वीकारोक्ति व प्रतिवेदन भी यह स्पष्ट करता है कि जिला स्तर पर कार्यपालक सहायक का पैनल उस समय अस्तित्व में नहीं था।

(ii) आरोप संख्या–2 के संबंध में कहना है कि विवरणी पत्रांक–760 दिनांक–04.12.2019 द्वारा भेजी गयी जिसकी प्रतिलिपि निदेशालय को भी दी गयी थी। वे पहले भी साक्ष्यों सहित अवगत करा चुके हैं और पुनः निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं कि राहुल की माँ बीमार थी। अनुपस्थिति विवरणी भेजी गयी थी। किसी तकनीकी कारण से ब्राइट Bill नहीं भेज रहा था और ब्राइट के पत्र के आधार पर सहानुभूति पूर्वक श्री मंडल को उनके खाते में भुगतान किया गया था। हाँ, श्री राहुल मंडल ने लिखित आश्वासन दिया था कि करों की कटौतियाँ अगले भुगतान से करा लेंगे। कालान्तर में ब्राइट के स्तर पर कटौती नहीं करने की बात संज्ञान में आने पर भूल सुधारते हुए सारे करों की कटौती कर (Ms Bright के माध्यम से) संबंधित को जमा कर दी गयी है। इसकी सूचना व करों की कटौती के कागजात विभाग को सौंप दिये गये थे।

इस प्रकार यह कहना कि बिना विभाग को संज्ञान में लाये बगैर अनुमति अनाधिकृत रूप से वे ऑपरेटर रखे, तथ्यहीन है। वे ही क्या, सबने विभाग के आदेश से ही इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर रखा व भुगतान किया। नियमों की जानकारी के अभाव में सहानुभूतिपूर्वक किये गये सीधे भुगतान के भूल को सुधारते हुए अपने सेवाकाल में ही उनके द्वारा सारे कर जमा करा दिये गये थे।"

5. श्री शंभु राय द्वारा समर्पित अपने अभ्यावेदन में प्रायः उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को समर्पित अपने अभ्यावेदन किया गया है। इनके द्वारा अपने अभ्यावेदन में किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है।

6. उक्त से स्पष्ट है कि श्री राय द्वारा बिना किसी सहमति के राजीव आवास योजना के तहत अनाधिकृत रूप से मेसर्स ब्राईट से श्री राहुल मंडल को कार्य पर रखा गया, प्रतिमाह संबंधित कर्मी का अनुपस्थिति विवरणी मेसर्स ब्राईट को नहीं भेजा गया एवं श्री राहुल मंडल, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के खाते में बिना ई०एस०आई०/ई०पी०एफ०/सर्विस टैक्स एवं अन्य कटौती के सीधे मानदेय का भुगतान किया गया जो इनके द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि संचालन पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत श्री राय को अभ्यावेदन देने हेतु पत्राचार किया गया एवं स्मारित किया गया, फिर भी उनके द्वारा कोई अभ्यावेदन नहीं दिया गया। तत्पश्चात् दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रेस विज्ञाप्ति का प्रकाशन कराया गया। प्रेस विज्ञाप्ति प्रकाशन के बाद इनके द्वारा ई–मेल से अपना अभ्यावेदन निदेशालय को भेजा गया है जो इनके कार्यशैली एवं लापरवाही को दर्शाता है।

उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री शंभु राय द्वारा समर्पित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री शंभु राय, तत्कालीन सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी–सह–प्रभारी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(ख) में किये गये प्रावधान के तहत आदेश निर्गत की तिथि से श्री शंभु राय के पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) की राशि की कटौती 05 (पाँच) वर्षों तक के लिए करने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–
(हिमांशु कुमार राय)
निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सां०नि०/स्था०17–17/2022 · 936 /पटना, दिनांक 10/06/24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रधान सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. उप निदेशक (सां०), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि आदेश की प्रति श्री शंभु राय को तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री शंभु राय, तत्कालीन सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी–सह–प्रभारी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर संप्रति सेवानिवृत, पता–पिता–स्व० हरिहर राय, ग्राम–पूरखास, पो०–बोधाछापर, थाना–गोपालपुर, जिला–गोपालगंज, पिन–841503 को सूचनार्थ प्रेषित।

7.6.24
निदेशक

" जन्म हो या मरण, जरूरी हैं पंजीकरण"